2/

संoसंo–2/पेन–90/2024–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : स्व० (डा०) सौरभ सुमन भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथौड़ी, बहेड़ी, दरभंगा की पत्नी श्रीमती खूशबू कुमारी को मृत्यु उपदान के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि स्व० (डा०) सौरभ सुमन भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथौडी, बहेडी, दरभंगा की सरकारी सेवा में नियुक्ति नयी पेंशन योजना के तहत वर्ष 2020 में हुई थी। स्व० (डा०) सौरभ सुमन की मृत्यु दिनांक–04.05.2023 को हो जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या–622 दिनांक–28.08.2017 के आलोक में उनकी पत्नी श्रीमती खूशबू कुमारी को मृत्यु उपदान के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी ।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न है :–

(i) नयी अंशदायी पेंशन योजना प्रपत्र अनुलग्नक–'क'
(ii) फोटो– स्व० (डा०) सौरभ सुमन की पत्नी श्रीमती खूशबू कुमारी का फोटो
(iii) हस्ताक्षर का नमूना
(iv) अंचल कार्यालय, सोनवर्षा द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण–पत्र।
(v) मृत्यु प्रमाण पत्र
(vi) वेतन पूर्जा
(vii) दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण–पत्र
(viii) प्रथम प्रभार रिपोर्ट
(ix) विभागीय बकाया रहित प्रमाण–पत्र
(x) सेवा इतिहास

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक–2/पेन–90/2024– 161(2) **पटना, दिनांक** 31/01/ **2025**

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।साथ ही निदेश दिया जाता है कि स्व० (डा०) सौरभ सुमन का आवास बकाया रहित प्रमाण–पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहेडी, दरभंगा को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि स्व० (डा०) सौरभ सुमन का ग्रुप बीमा योजना में जमा राशि का भुगतान उनकी पत्नी श्रीमती खूशबू कुमारी के पक्ष मे करते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दिया जाय।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/श्रीमती खूशबू कुमारी, पत्नी स्व० (डा०) सौरभ सुमन भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथौड़ी, बहेडी, दरभगा पत्राचार का पता–ग्राम–मोहल्ला–मनोरी, वार्ड–11, पो०+थाना–सोनबरसा, जिला–सहरसा (बिहार), पिनकोड–852129/प्रशाखा पदाधिकारी 03, 09 एवं 18ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।